

8/2/24

पत्रावली पेश हुई। प्राणी अधि. अनुपरिचय।
न्यायालय समय में कब वार आवे लगे
के बाद भी प्राणी कि ओर से कोई उपस्थित
नहीं होने से प्राणी का प्रापना - पत्र अदम धरी
अदम परबी में खारीज किया जाता है। पत्रावली
कैसल शुमार होकर वाखिल रफ्तार हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (दक्षिण)

